उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2014/XXVII(9)/2014/स्टाम्प –42/2008
देहरादूनः दिनांकः 22 अगस्त, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) 74 तथा 75 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्:–

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) (संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) (संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 156 का संशोधन 2. (उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली 1942) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
156. गैर सरकारी विकेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिकी, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विकेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिकी के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विकेता की बिकी अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के	156. गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिकी, लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विकेता सामान्यतः स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिकी के औसत पर आधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विकेता की बिकी अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टॉक एक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो

अन्य किसी दिन, जिस दिन, कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि ₹ 15,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विकेता को नहीं दिया जायेगा।	उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकि दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीद कर सकेंगे। परन्तु यह कि ₹ 25,000/– से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेन्स प्राप्त स्टाम्प विकेता को नहीं दिया जायेगा।

(भास्करानन्द)
सचिव।

सं0 236 (1)/2014/XXVII(9)/2014/स्टाम्प –42/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकार, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.236/2014/XXVII (9)/ Stamp-42/2008. Dehradun:: dated: 22 August, 2014 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-9
No.236 /2014/XXVII(9)/ Stamp-42/2008
Dehradun: Dated: 22 August, 2014

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-Section(1) of Section 10 and section 74 and 75 of the Indian Stamp Act. 1899 (Central Act no 2 of 1899) read with section 21 of General clauses Act 1897 (Central Act. no. 10 of 1897). the Governor is pleased to make the following rules with a view further to amend the Uttarakhand (U.P stamp Rules 1942) namely:-

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh stamp Rules 1942) (Amendment) Rules 2014.

Short title, and commencement	**1.**	**(1)**	These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar pradesh stamp Rules 1942) (Amendment) Rules 2014
		(2)	They shall come into force at once.
Amendment of Rule 156	**2.**		In rule (The Uttar Pradesh Stamp Rules, 1942), the Rule Set out in column-1 below, the rule Set out in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1	**Column-2**
Existing rule	**Herby substituted rule**
156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the	156. Licensed vendors shall be allowed to purchase stamps from the local or branch depot ordinarily once a week, equal to their estimated demand for one week, based on the average sales of the last few weeks. If after a weekly purchase, the sales of any vendor have been

C:\Users\hp\Desktop\Indra\2014\Rules Draft..doc

sales of any vendor have been heaby and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week. Provided that stamp paper of value of more than Rs. Fifteen Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.	heaby and his stock have run short within the week, he shall be allowed to purchase on any other day of the week when the treasury is open, equal to the probable consumption for remaining part of the week. Provided that stamp paper of value of more than Rs. Twenty five Thousand shall not be given to licensed stamp vendor.

(Bhaskaranand)
Secretary.